फैक्स/आवश्यक/महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या–डीजी–चार–101(18)/2018(पदोन्नति) दिनॉक: लखनऊ:दिसम्बर 29, 2018

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु मा0 न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में पुनर्विचार से संबंधित प्रकरणों पर उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा दिनॉक 14–12–2018 को बैठक का आयोजन करते हुये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015(यथा–संशोधित) मे निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान से उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद/इकाई मे तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित/समायोजित करते हुये उक्त कर्मियो को नवनियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

क्रं सं	पीएनओनं0	नाम	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित जनपद का नाम	चयन वर्ष
1	892520293	कैलाश पति सिंह	श्री राम जन्म सिंह	15.07.1969	चन्दौली	जीआरपी इलाहाबाद	गोरखपुर	2016
2	982220380	राजीव रंजन कुमार	श्री तलुक राज प्रसाद	14.01.1964	बक्सर	एलआईयू खीरी	एलआईयू खीरी में निरीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा इनके स्थानान्तरण के संबध में आदेश अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना द्वारा निर्गत किये जायेंगे।	2017
3	900730582	रूकमपाल सिंह	श्री भीकम सिंह	16.06.1971	मैनपुरी	शाहजहॉपुर	इलाहाबाद	2017

2– पदोन्नति पाये उपनिरीक्षकगण कैलाश पति सिंह पीएनओ0 892520293 एव रूकमपाल सिंह पीएनओनं0– 900730582 अपने नवनियुक्ति स्थान पर निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा निरीक्षक एल0आई0यू0 राजीव रंजन कुमार अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा इनके स्थानान्तरण के संबंध मे अलग से आदेश अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे। उक्त निरीक्षकगण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानो के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी उन्हें अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हे कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। पदोन्नति प्राप्त निरीक्षकों का यदि जोन/परिक्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो एवं उनके समायोजन में कोई नीतिगत बाधा हो तो उससे इस मुख्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए।

101 -2018 - doc

Scanned by CamScanner

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनॉक 28–5–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र मे अथवा अभिलेखो मे प्रस्तर–3 मे अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संबधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यो सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी,जहॉ पर संबधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रतिसहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपहानिरीक्षक/जनपद/इकाई प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सलग्नक–प्रारूप(क)

(अनिल कुमार) 29/12/18
पुलिस उपाधीक्षक (स्थापना)
कृते–अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी/गोरखपुर/आगरा/बरेली जोन।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।

3. अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया निरीक्षक एल0आई0यू0 राजीव रंजन कुमार के स्थानान्तरण के संबध में आदेश अपने स्तर से निर्गत करने की कृपा करें।

4– पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ/बरेली/गोरखपुर/इलाहाबाद/लखनऊ परिक्षेत्र।

5– पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर/खीरी/शाहजहॉपुर/गोरखपुर/इलाहाबाद।

7– पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग इलाहाबाद।

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned by CamScanner

स्वघोषणा–पत्र

मैं,----------------------(नाम/पदनाम व पीएनओ)------------------
पुत्र-------------------------निवासी---------------------------------
थाना----------जनपद---------वर्तमान में(जनपद/इकाई का नाम)-------------
----------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

''मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान मे निलम्बित हूँ।''

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास मे बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण -------
(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई----------मे कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमे दिनॉक:----------- को आरोप–पत्र दिया गया है।
(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0------------ धारा-------------थाना ----------- जनपद---------में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी----------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय मे प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----------स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

<u>प्रमाणित</u>

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

Scanned by CamScanner